दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

(भारत सरकार की डेयरी वैन्चर कैपिटल फंड के अन्तर्गत ऋण हेतु आवेदन पत्र)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0..

दुधारू पशु हेतु ऋण आवेदन पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो प्रमाणित

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

....

....

महोदय,

मैं/हम भारत सरकार की डेयरी वैन्चर कैपिटल फंड के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए मध्यावधि ऋण लेना चाहता हूँ/चाहते है। इस संबंध में वांछित जानकारी निम्नलिखित है।

1. प्रार्थी का नाम...2.पिता/पति का नाम...3.जाति...............

4. पता : ग्राम.................................पोस्ट..............................विकासखण्ड..........................तहसील................जनपद.............

5. मुख्य व्यवसाय..

6. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0..

7. वर्तमान में दुधारू पशुओं की संख्या : गाय...भैंस...

8. दुग्ध समिति को आपूर्ति की जा रही दूध की मात्रा ....लीटर

9. खेती के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल..(खसरा खतौनी/छाया प्रति किसान बही)

10. यदि प्रार्थी ने किसी संस्था या बैंक से ऋण लिया है, तो विवरण..

वर्तमान परियोजना लागत विवरण

1.	10 दुधारू पशुओं हेतु ऋण	रू0..
2.	पशु बीमा (5 वर्ष के हेतु)	रू0..
3.	पशु यातायात पर व्यय	रू0..
4.	पशु आवास पर व्यय	रू0..
5.	प्रथम बार में दाने पर व्यय	रू0..
6.	मार्जिन मनी (लाभार्थी द्वारा)	रू0..
7.	योग	रू0..
8.	वैन्चर कैपिटल (ब्याज मुक्त)	रू0..
9.	बैंक से स्वीकृत/वितरित धनराशि	रू0..

दुग्ध समिति द्वारा संस्तुति

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0...यह प्रमाणित करती है कि आवेदनकर्ता हमारी दुग्ध समिति का सक्रिय सदस्य है तथा इनका चयन दुग्ध समिति की बैठक दिनांक ....के प्रस्ताव संख्या...द्वारा कर लिया गया है। साथ ही यह दुग्ध समिति, यह भी संस्तुति करती है कि यदि इनका ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो परियोजनान्तर्गत देय वैन्चर कैपिटल फंड बैंको को/बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराया जायेगा।

कृते दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0

ह0 क्षेत्र पर्यवेक्षक ह0 सचिव ह0 अध्यक्ष

ऋण मंजूर होने पर मैं/हम वायदा करता हूं/करते है कि –

1. यह ऋण गाय/भैंस खरीदने के लिए ही उपयोग किया जायेगा।
2. मैं/हम अन्य किसी व्यावसायिक बैंक/संस्था से ऋण नहीं लूंगा/लेंगे और आपके बैंक से ही सारी ऋण व्यवस्था करता रहूँगा/रहेंगे।
3. बैंक/बीमा कम्पनी/परियोजना समय–समय पर ऋण द्वारा खरीदी गई गाय/भैंसों का निरीक्षण कर सकेगी।
4. मैं/हम गाय/भैंस की अच्छी तरह से देखभाल करूंगा/करेंगे।
5. बैंक द्वारा समय–समय पर गाय/भैंसो के दुग्ध उत्पादन, उसकी बिक्री तथा ऋण अदायगी के संबंध में दिये गये आदेशों का पालन करता रहूँगा/करते रहेंगे।
6. ऋण से क्रय की गयी गाय/भैंस की टैगिंग अनिवार्य रूप से कराऊंगा/करायेंगे।

इस संबंध में मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त विवरण जो मेरे/हमारे द्वारा बताये गये है वे सही हैं और कोई भी तथ्य/वास्तविकता छुपाई नहीं गई है, जिससे बैंक द्वारा दिये गये ऋण पर विपरीत प्रभाव पड़े।

संस्तुति सहित अग्रसारित संस्तुति सहित अग्रसारित प्रार्थी के हस्ताक्षर

नाम ....

कृते दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0

ह0 क्षेत्र पर्यवेक्षक ह0 सचिव ह0 अध्यक्ष

नाम ....

दिनांक...

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 की संस्तुति

श्री/श्रीमती...पुत्र/पत्नी श्री..

निवासी ग्राम...पोस्ट...विकास खण्ड...........................

जनपद...का आवेदन पत्र निरीक्षण के पश्चात् सही पाया गया, फलस्वरूप ऋण देने हेतु संस्तुति सहित अग्रसारित किया जाता है।

सहायक पर्यवेक्षक/क्षेत्र पर्यवेक्षक/वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक

दु0उ0स0संघ लि0 **दु0उ0स0संघ लि0**

बिग डेयरी योजना के अन्तर्गत ऋण हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

(भारत सरकार की वैन्चर कैपिटल फंड योजना–डेयरी)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0

जनपद..

आज दिनांक ....को यह त्रिपक्षीय अनुबन्ध सम्पन्न हुआ।

1. श्री / श्रीमती / कु0.. पुत्र / पुत्री / पत्नी / श्री ....निवासी... ....जिसे आगे लाभार्थी / प्रथम पक्ष कहा गया है।

एवं

2. ....बैंक के शाखा प्रबन्धक....................................... ....शाखा (स्थान) जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है।

तथा

3. दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0.. द्वारा प्रबन्धक / प्रधान प्रबन्धक, पता ....जिसे आगे तृतीय पक्ष कहा गया है।

तृतीय पक्ष एक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति है, जिसका उद्देश्य प्रदेश सरकार की **बिग डेयरी योजना, उत्तराखण्ड** के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के दुधारू पशु क्रय करने एवं अपने सदस्यों को दुग्ध उत्पादन, उपार्जन एवं विपणन पर तकनीकी परामर्श / सहायता उपलब्ध कराना है। तृतीय पक्ष ने उपरोक्त ऋण अदायगी में सेतुन्यासी के रूप में निम्नलिखित रूप से कार्य करना स्वीकार किया है:–

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने स्वीकृत ऋण रू0...की प्रथम किस्त लाभार्थी / प्रथम पक्ष को (नकद / तृतीय पक्ष) के माध्यम से दिया है, जिसकी अदायगी प्रथम पक्ष द्वारा........ ....प्रतिशत वार्षिक ब्याज (त्रैमासिक / अर्द्धवार्षिक / अन्तराल पर) जो कि ....बैंक की अग्रिम दर से ....अधिक या कम होगा और भारतीय रिजर्व बैंक के समय–समय पर निर्गत निर्देशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा, के साथ मासिक किस्तों में होगी।
2. यह कि प्रथम पक्ष / लाभार्थी करार करते है / करती हैं कि द्वितीय पक्ष द्वारा बिग डेयरी योजना उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कुल रू0... की धनराशि, जो स्वीकृत की गई है, के चैक सं0...दिनांक..को भैंसों / गायों की खरीद के लिए ही उपयोग में लाऊंगा / लाऊंगी।
3. यह कि तृतीय पक्ष उक्त ऋण राशि रू0..से लाभार्थी / प्रथम पक्ष को उन्नत नस्ल के दुधारू पशु क्रय करायेगा तथा समय–समय पर लाभार्थी / प्रथम पक्ष को तकनीकी परामर्श एवं उपलब्ध चिकित्सकीय सहायता इत्यादि भी उपलब्ध कराएगा।
4. यह कि लाभार्थी / प्रथम पक्ष द्वारा उपरोक्त ऋण से क्रय किये गये दुधारू पशुओं द्वारा उत्पादित समस्त दूध केवल तृतीय पक्ष को ही विक्रय करेगा / देगा, अन्यत्र कहीं किसी को भी नहीं बेचेगा।

5. यह कि तृतीय पक्ष दूध के मूल्य भुगतान से समुचित धनराशि की कटौती कर के द्वितीय पक्ष को ऋण एवं भारत सरकार के वैन्चर कैपिटल फंड की ब्याज मुक्त धनराशि की अदायगी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक किस्तों में करता रहेगा।

6. यह कि यदि लाभार्थी /प्रथम पक्ष कहीं अन्यत्र दूध बेचता है अथवा तृतीय पक्ष को दूध नहीं उपलब्ध कराता है तो तृतीय पक्ष द्वितीय पक्ष को अविलम्ब सूचित करेगा, तदुपरान्त द्वितीय पक्ष एक मुस्त ऋण राशि प्रथम पक्ष से वसूल करने का हकदार होगा।

7. यह कि यदि लाभार्थी/प्रथम पक्ष द्वारा बैंक ऋण किस्तों की अदायगी समयानुसार बैंक को नहीं करता अथवा परियोजनान्तर्गत क्रय किये गये पशुओं को द्वितीय पक्ष/बैंक को बिना पूर्व सूचना के बेचता है, तो द्वितीय पक्ष/बैंक एक मुस्त ऋण वसूली की कार्यवाही करने का हकदार होगा व परियोजना द्वारा लाभाथी/ प्रथम पक्ष के पक्ष में उपलब्ध कराया गया अनुदान भी परियोजना को वापस कर देगा।

8 यह कि द्वितीय पक्ष को कभी भी आवश्यकता पड़ने पर द्वितीय पक्ष के हिसाब किताब एवं कार्य पद्धतियों के अवलोकन का समुचित अधिकार होगा।

2. यह कि भविष्य में प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवादों का निपटारा जिले पर गठित जिला स्तर की कमेटी (जिसमें बैंक के जिला प्रबन्धक एवं दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक/प्रबंधक, सदस्य होंगे) निस्तारण करेगी। अन्तिम निर्णय का अधिकार बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक के पास निहित/संरक्षित होगा।

तीनों पक्षकारों ने लिखा और हस्ताक्षर किया, ताकि सनद रहे और वक्त—जरूरत पर काम आये।

ह0 प्रथम पक्ष/लाभार्थी   ह0 द्वितीय पक्ष/शाखा प्रबन्धक बैंक   ह0 तृतीय पक्ष/दुग्ध समिति लि0

दिनांक

गवाह

1. नाम..	1. नाम..
पिता का नाम	पिता का नाम ....
पता	पता ....
....	....

नोट :— यह अनुबन्ध रू0 100/— के स्टाम्प पेपर पर किया जायेगा